पत्र सं0–08/सू०अ०–15–52/2007 सा०प्र०...13870/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष

पटना–15, दिनांक:– 26-12-11

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के क्रियान्वयन एवं सभी विभागीय आदेश/आवश्यक कागजात को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–6279 दिनांक–01.07.2009 तथा अनुवर्त्ती स्मार पत्रांक–12785 दिनांक–26.11.2009 एवं 8617 दिनांक–02.08.2011 की ओर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सूचना का अधिकार के अनुपालन की समीक्षा के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया है :–

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत उल्लिखित 17 दस्तावेजों का प्रदर्शन कतिपय विभागों के वेबसाइट पर नहीं हुआ है तथा

(ख) प्रकाशित वेबसाइटों को अद्यतन नहीं किया गया है।

(ग) सूचना का अधिकार अन्तर्गत सूचना प्रदान करने हेतु प्राप्त राशि निर्धारित शीर्ष में जमा होने के कारण लोक सूचना पदाधिकारियों के पास सूचना देने के लिए राशि उपलब्ध नहीं रहती है, जिस कारण सूचना देने में कठिनाई होती है।

(2) राज्य मुख्य सूचना के द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि सूचना प्राप्ति हेतु आवेदक द्वारा जो राशि जमा की जाती है उसे विहित प्राप्ति शीर्ष में ही जमा किया जाए तथा सूचना देने के क्रम में जो राशि व्यय होंगे उससे संबंधित राशि का उपबंध कार्यालय व्यय मद में की जा सकती है। अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने एवं उसे वेबसाईट पर डालने से संबंधित व्यय व्यावसायिक एवं विशेष सेवा मद में प्राप्त उपबंध से की जा सकती है।

(3) अवगत होंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (b) में जिन 17 आईटम्स की चर्चा की गयी है उसकी जानकारी प्रत्येक लोक प्राधिकारों को प्रकाशित करना बाध्यकारी है। उक्त अधिनियम की धारा 4 (2) में निम्न प्रावधान किया गया है :–

"प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर वह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचन के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलम्ब लेना पड़े।

अतः अनुरोध है कि कृपया विभागीय वेबसाइट पर आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचनाएँ निश्चित रूप से प्रकाशित कराएँ तथा उन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन कराया जाए। साथ ही विषयक कार्रवाई एवं वित्त विभाग के परामर्श से अपने अधीनस्थों को भी अनुपालित करने हेतु समुचित निदेश देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

P.T.O.

Sanjana Suc-8 Su. Aa. P-24